राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी
आधार से नहीं जुडे हुए 5 फीसदी लोगों भी मिलेगा राशन
घुमन्तू परिवार एवं निष्क्रमण वाले भेड पालकों को भी राशन सामग्री

जयपुर, 20 जुलाई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की भावना एवं अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (एनएफएसए) प्रदेश के प्रत्येक गरीब एवं पात्र चयनित व्यक्ति के प्रति पूरी संवेदनशीलता रखते हुए यह सुनिश्चित करे कि उसे हर हालत में राशन सामग्री समय पर व पूरी मात्रा में मिले। उन्होंने कहा कि राज्य के समस्त उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

खाद्य मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा ने गुरूवार को योजना भवन स्थित कान्फ्रेंस हॉल में प्रदेश के समस्त जिला रसद अधिकारियों, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबन्धको के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह विभाग राज्य सरकार का आईना है इसलिए पूरी जिम्मेदारी एवं टीम भावना के साथ कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लगभग 5 करोड़ व्यक्ति सीधे–सीधे विभागीय योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मुख्यालय एवं जिला स्तर पर भी समय–समय पर सतत् रूप से योजनाओं की समीक्षा हो।

श्री वर्मा ने कहा कि दोहरे राशन कार्डो (डी–डुप्लीकेशन) की पहचान कर फर्जी राशन कार्डो को निरस्त किया जाये, साथ ही समानीकरण समस्या का 15 दिन में समाधान करे। गेहूं के ऑनलाईन उठाव एवं वितरण पर उन्होंने निर्देश दिए कि जिस जिले में अटैचमेंट नियमों की अनदेखी, समय पर उठाव, उप–आवंटन एवं वितरण विभागीय मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अभी भी 5 फीसदी लोग जो आधार से नहीं जुडे हुए है, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें भी राशन सामग्री की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये। श्री वर्मा ने कहा कि घुमन्तू परिवार एवं निष्क्रमण वाले भेड पालकों के परिवारों को भी राशन सामग्री मुहैया करवाया जाना विभाग की जिम्मेदारी है।

खाद्य मंत्री ने अन्नपूर्णा भंडार की प्रगति रिपोर्ट, बिक्री, रि–ऑर्डर की समय पर आपूर्ति एवं बकाया को शून्य करने तथा अन्य मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि 5 हजार 507 से अधिक अन्नपूर्णा भंडारों पर "सबसे सस्ता– सबसे अच्छा" पद्धति की प्रशंसा पूरे देश में की जा रही है। क्योंकि पूरे देश में अलग पहचान कायम कर चुकी इस अभिनव योजना के माध्यम से एमआरपी से कम मूल्यों पर 350 से अधिक श्रेणी के रोजमर्रा के उत्पाद आमजन को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए

कि उचित मूल्य दुकानों पर गैर–सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नॉन पीडीएस) के तहत जनता में बेहद लोकप्रिय राज–ब्रांड के सामान की समयबद्ध आपूर्ति एवं परिवहन व्यवस्था का 7 दिवस में समाधान किया जाये। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भंडारों पर अब तक 99.92 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। आगे भी इस योजना की महता समझते हुए जिला रसद अधिकारी एवं प्रबन्धक आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर अभूतपूर्व प्रगति लावे।

बैठक में शासन सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं के अध्यतन (अपडेट) किये जाने एवं पिछले दो माह में प्राप्त 340 शिकायत प्रकरणों का 30 जुलाई 2017 तक अनिवार्य रूप से समाधान कर पीडित पक्षकार को राहत प्रदान की जाये। उन्होंने "न्याय आपके द्वार" अभियान के तहत 1 लाख 16 हजार 800 प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा पर गंभीरता जताते हुए कहा कि अब तक 63 हजार 460 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है जो आशानुरूप नहीं है, जबकि शेष 53 हजार 640 परिवादों का निस्तारण भी अभियान में हाथों हाथ मौके पर ही किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री पी.रमेश ने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना गंभीरता से लेते हुए पूरी की जाये। उन्होंने कहा कि यदि इस कार्य में कही भी शिथिलता पाई गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

उपभोक्ता मामले विभाग के उप निदेशक श्री संजय झाला ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से पूर्व निर्मित, पैक की गई या आयातित डिब्बा बंद वस्तुएं तथा जिसकी बिक्री नहीं की गई है पर जीएसटी के द्वारा हुई मूल्य वृद्धि को पूर्व की एमआरपी में 30 सितम्बर 2017 तक जोडने की अनुमति केन्द्र सरकार ने दी हैं। उन्होंने बताया कि पुराना माल जो बेचा जाए उसमें जीएसटी जोडते हुए पुरानी एमआरपी के साथ नयी एमआरपी का स्टीकर लगाया जाना अनिवार्य है।

बैठक में राशन सामग्री का उचित मूल्य दुकानवार ऑनलाईन आवंटन, गेहूं, चीनी एवं केरोसीन के उठाव, वितरण तथा ऑनलाईन उचित मूल्य दुकानवार समर्पण, न्यायालयों में लंबित मामलों के अपडेशन/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही अन्य मुद्दों पर जिला रसद अधिकारियों से विचार–विमर्श किया। टोंक जिला रसद अधिकारी श्री उम्मेद सिंह ने सभी की ओर से विश्वास दिलाया कि विभाग द्वारा जो भी पैरामीटर दिये गये है, जनहित में उनकी पालना निश्चित रूप से की जायेगी।

बैठक में खाद्य मंत्री के विशिष्ठ सहायक श्री विभु कौशिक, खाद्य उपायुक्त श्री आकाश तोमर, वित्तीय सलाहकार श्री उम्मेद सिंह, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की महाप्रबंधक प्रीति माथुर, रेखा सांवरियां, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ के उप नियंत्रक श्री सोहन लाल योगी सहित विभाग एवं निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

.....